संख्याः02/2024/121/61-2024-002-02-Reappropriation-2023-2024

प्रेषक,

चन्द्रशेखर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

निर्वाचन अनुभाग, लखनऊः दिनांक 05 मार्च, 2024

विषयः **अनुदान संख्या-41 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2015-निर्वाचन के अन्तर्गत विभिन्न मानक मदों में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में ।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या—118/सी0ई0ओ0-3-13/3-2023, दिनांक-21 फरवरी, 2024 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अधीन कार्यालय व्यय, लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई, मानदेय, चिकित्सा व्यय एवं यात्रा व्यय के लिए रू0—2,70,46,000/- (रूपये दो करोड़ सत्तर लाख छियालिस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति संलग्न प्रपत्र बी0एम0—9 (भाग—1) के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

(नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों)

(1) जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है उस मद में पुनः अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जाएगी ।

(2) पुनर्विनियोग की जाने वाली धनराशि का सदुपयोग उसी वित्तीय वर्ष में एवं उसी कार्य के लिये किया जायेगा ।

(3) पुनर्विनियोग मात्र बजट की उपलब्धता हेतु सुनिश्चित किया जा रहा है । प्रश्नगत कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत किये जाने के विषय में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए औचित्य का परीक्षण कर लेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) पुनर्विनियोग की जाने वाली धनराशि का सदुपयोग वित्तीय वर्ष में न करने और उसके फलस्वरूप होने वाले आडिट आपत्ति हेतु मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय उत्तरदायी होंगे ।

(5) मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग से उ0 प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर- 150 एवं 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होगा ।

(6) प्रश्नगत धनराशि का उपयोग दिनांक 31.3.2024 तक कर लिया जायेगा ।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2015001030300 (विधान सभा एवं संसद)

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**स्वीकृत धनराशि**
1	041	2015001030300 विधान सभा एवं संसद	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	1,90,34,000 (रुपये एक करोड़ नब्बे लाख चौंतीस हजार मात्र)
	कुल			**1,90,34,000 (रुपये एक करोड़ नब्बे लाख चौंतीस हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2015001030500 (निर्वाचन अधिष्ठान व्यय)

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**स्वीकृत धनराशि**
1	041	2015001030500 निर्वाचन अधिष्ठान	49 चिकित्सा	8,00,000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

		व्यय	व्यय	(रुपये आठ लाख मात्र)
	कुल			**8,00,000** **(रुपये आठ लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2015001050300 (सामान्य निर्वाचन)

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**स्वीकृत धनराशि**
1	041	2015001050300 सामान्य निर्वाचन	07 मानदेय	16,87,000 (रुपये सोलह लाख सतासी हजार मात्र)
	कुल			**16,87,000** **(रुपये सोलह लाख सतासी हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2015001050500 (राज्य सभा द्विवार्षिक निर्वाचन/उपनिर्वाचन)

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**स्वीकृत धनराशि**
1	041	2015001050500 राज्य सभा द्विवार्षिक निर्वाचन/उपनिर्वाचन	08 कार्यालय व्यय	11,000 (रुपये ग्यारह हजार मात्र)
2	041	2015001050500 राज्य सभा द्विवार्षिक निर्वाचन/उपनिर्वाचन	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	33,000 (रुपये तैंतीस हजार मात्र)

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	कुल			**44,000** **(रुपये चवालीस हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2015001060400 (सामान्य निर्वाचन-राज्य़विधान परिषद)

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**स्वीकृत धनराशि**
1	041	2015001060400 सामान्य निर्वाचन-राज्य़विधान परिषद	04 यात्रा व्यय	35,000 (रुपये पैंतीस हजार मात्र)
2	041	2015001060400 सामान्य निर्वाचन-राज्य़विधान परिषद	08 कार्यालय व्यय	54,33,000 (रुपये चौवन लाख तैंतीस हजार मात्र)
3	041	2015001060400 सामान्य निर्वाचन-राज्य़विधान परिषद	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	13,000 (रुपये तेरह हजार मात्र)
	कुल			**54,81,000** **(रुपये चौवन लाख इक्यासी हजार मात्र)**
महायोग	2,70,46,000 (रुपये दो करोड़ सत्तर लाख छियालीस हजार मात्र)			

के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नकः-प्रपत्र बी0एम0—9 (भाग—1)

भवदीय,

(चन्द्रशेखर)
विशेष सचिव।

संख्याः-02/2024/121(1)/61-2024-002-02-Reappropriation-2023-2024, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) वित्त नियंत्रक/वित्तीय सलाहकार, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0 , लखनऊ।
(4) सम्बन्धित कोषाधिकारी द्वारा निर्वाचन अनुभाग—3 कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी,उ0प्र0, लखनऊ।
(5) वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(6) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह०/-
(संजय प्रकाश मौर्य)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बी एम-9 (भाग - 1)पुनर्विनियोग
के लिए आवेदन/स्वीकृति
(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)

A061-20232024-02-Reappropriation-2023-2024

विषय- अनुदान संख्या -41 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2015-निर्वाचन के अन्तर्गत विभिन्न मानक मदों में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में ।

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
041	2015001030300 (विधान सभा एवं संसद)	07 (मानदेय)	1,32,00,00,000 रुपये एक अरब बतीस करोड़ मात्र	2,70,46,000 रुपये दो करोड़ सत्तर लाख छियालीस हजार मात्र	2,70,46,000 रुपये दो करोड़ सत्तर लाख छियालीस हजार मात्र	2,70,46,000 रुपये दो करोड़ सत्तर लाख छियालीस हजार मात्र	1,29,29,54,000 रुपये एक अरब उन्तीस करोड़ उन्तीस लाख चौवन हजार मात्र	2023-2024
कुल					₹ 2,70,46,000	₹ 2,70,46,000		

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
041	2015001060400 (सामान्य निर्वाचन-राज्यविधान परिषद	11 (लेखन सामग्री और फार्मों की	1,05,000 रुपये एक लाख	13,000 रुपये तेरह हजार	13,000 रुपये तेरह	1,18,000 रुपये एक लाख अठारह	2023-2024

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
	)	छपाई)	पांच हजार मात्र	मात्र	हजार मात्र	हजार मात्र	
041	2015001060400 (सामान्य निर्वाचन-राज्यविधान परिषद)	08 (कार्यालय व्यय)	51,84,000 रुपये इक्यावन लाख चौरासी हजार मात्र	54,33,000 रुपये चौवन लाख तैंतीस हजार मात्र	54,33,000 रुपये चौवन लाख तैंतीस हजार मात्र	1,06,17,000 रुपये एक करोड़ छह लाख सत्रह हजार मात्र	2023-2024
041	2015001060400 (सामान्य निर्वाचन-राज्यविधान परिषद)	04 (यात्रा व्यय)	5,02,000 रुपये पांच लाख दो हजार मात्र	35,000 रुपये पैंतीस हजार मात्र	35,000 रुपये पैंतीस हजार मात्र	5,37,000 रुपये पांच लाख सैंतीस हजार मात्र	2023-2024
041	2015001050500 (राज्य सभा द्विवार्षिक निर्वाचन/उपनिर्वाचन)	11 (लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई)	25,000 रुपये पच्चीस हजार मात्र	33,000 रुपये तैंतीस हजार मात्र	33,000 रुपये तैंतीस हजार मात्र	58,000 रुपये अट्ठावन हजार मात्र	2023-2024
041	2015001050500 (राज्य सभा द्विवार्षिक निर्वाचन/उपनिर्वाचन)	08 (कार्यालय व्यय)	1,00,000 रुपये एक लाख मात्र	11,000 रुपये ग्यारह हजार मात्र	11,000 रुपये ग्यारह हजार मात्र	1,11,000 रुपये एक लाख ग्यारह हजार मात्र	2023-2024
041	2015001050300 (सामान्य निर्वाचन)	07 (मानदेय)	5,00,000 रुपये पांच लाख मात्र	16,87,000 रुपये सोलह लाख सतासी हजार मात्र	16,87,000 रुपये सोलह लाख सतासी हजार मात्र	21,87,000 रुपये इक्कीस लाख सतासी हजार मात्र	2023-2024

http://shasanadesh.up.gov.in

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
041	2015001030500 (निर्वाचन अधिष्ठान व्यय)	49 (चिकित्सा व्यय)	70,00,000 रुपये सत्तर लाख मात्र	8,00,000 रुपये आठ लाख मात्र	8,00,000 रुपये आठ लाख मात्र	78,00,000 रुपये अठहत्तर लाख मात्र	2023-2024
041	2015001030300 (विधान सभा एवं संसद)	11 (लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई)	3,07,00,000 रुपये तीन करोड़ सात लाख मात्र	1,90,34,000 रुपये एक करोड़ नव्वे लाख चौंतीस हजार मात्र	1,90,34,000 रुपये एक करोड़ नव्वे लाख चौंतीस हजार मात्र	4,97,34,000 रुपये चार करोड़ सत्तानवे लाख चौंतीस हजार मात्र	2023-2024
कुल				₹ 2,70,46,000	₹ 2,70,46,000		

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे:-
उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार हैं:-

(1) चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 में जनपदों से कम मांग प्राप्त होने की सम्भावना के कारण बचत सम्भावित है।
(2) वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध/विनियोग के सापेक्ष संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से हैः-

विभिन्न अर्हता तिथियों के आधार पर हुए विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त/निरन्तर पुनरीक्षण में पदाभिहित अधिकारियों के लिए लेखन सामग्री और प्रपत्रों की छपाई तथा प्रपत्रों की छपाई में प्रयुक्त हुए कागज, जिला निर्वाचन कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा स्वयं व उनके आश्रित सदस्यों की चिकित्सा परिचर्या पर हुए व्यय, लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2019 के श्रम साध्य कार्यों से जुड़े अधिकारियों/ कर्मचारियों को मानदेय, उत्तर प्रदेश से राज्य सभा के लिए निर्वाचित सदस्य श्री हरद्वार दुबे के निधन हो जाने के कारण राज्य सभा के उप निर्वाचन-2023 में हुए विविध व्यय, राज्य सभा के उप निर्वाचन-2023 में प्रयुक्त हुई लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन-2022 में निर्वाचन ड्यूटी में लगाये

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

गये कार्मिकों के यात्रा व्यय, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के खण्ड स्नातक एवं खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक निर्वाचन-2020, स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन-2022 तथा खण्ड स्नातक एवं खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक निर्वाचन-2023 में हुए विविध व्ययों, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के खण्ड स्नातक एवं खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक निर्वाचन-2020 में क्रय की गयी लेखन सामग्री आदि पर हुए व्यय से सम्बन्धित देयकों के भुगतान हेतु उक्त धनराशि की आवश्यकता है।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर 150, 151 व 154 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या:RE-budget-1-532-E-12-538-X-2023-24-दिनांक:01-03-2024

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(संजय प्रकाश मौर्य)
अनु सचिव।

(मदन मोहन त्रिपाठी)
उप सचिव।

संख्या : A061-20232024-02-Reappropriation-2023-2024, तददिनांक,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
2- सम्बंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियन्त्रक/वित्तीय सलाहकार, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (तीन प्रतियों में)
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से
ह०/-
(संजय प्रकाश मौर्य)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।